रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 54] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 8, 1972/फाल्गुन 18, 1893

No. 54] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 8, 1972/PHALGUNA 18, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 8th March 1972

SUBJECT:—*Imports of Capital goods (Balancing Equipment) against the U.K. Kipping Loan VIII.*

No. 40-ITC(PN)/72.—The U.K. Government have made available as part of the assistance for Indian Economic development, a loan of £ 1.0 million (Rs. 1.80 crores) to meet the requirements of U.K. oriented firms for balancing equipment.

2. It has been decided that these funds may be used for issue of licences to Actual Users in both the scheduled and non-scheduled sectors including small scale industries with equipment of British origin, for import of minor balancing equipment needed by them to maximise utilisation of equipment already in use. The amount available for the purpose being small as against the demand from enterpreneurs, it has been decided to consider applications only in those cases where:—

(i) The equipment in use is mainly of British origin; and

(ii) The value of the equipment sought to be imported is small in relation to the equipment already in use and does not exceed £ 25,000/- c.i.f. value.

Applications from eligible importers should be supported by information as per proforma given in the Appendix I to this Public Notice In case, the application is not supported by the Appendix or incomplete/faulty information is given in the Appendix, the application will be summarily rejected It may be particularly noted that only one application should be submitted by each eligible importer More than one application submitted by an importer will not be considered.

3 The terms and conditions which will be applicable to the licences to be issued against this loan are given in the Public Notice No 180-ITC(PN)/71 dated 22nd December, 1971

4 Applications from eligible actual users for the imports of minor balancing equipments in terms of this Public Notice may be submitted in the prescribed form and manner (Form-E) to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi (Special Cell) by the 29th April, 1972

APPENDIX

1 Name and complete address of the applicant

(a) Factory.

(b) Registered Office

2 Nature of the concern, whether proprietory/partnership/Private Limited/ Public Limited

3 Name of the Proprietors/Partners/Directors

4 Whether borne on the list of DGTD/DC(SSI)/Iron & Steel Controller etc. (Quote Registration No and date).

5 Whether the applicant is a small scale unit and if so, whether it will continue to remain so after the proposed import —

(a) Present total assets

(b) Total assets after import of equipment applied for

(c) Present value of Plant & Machinery

(d) Value of Plant & Machinery after the import of equipment asked for

6 Industry to which the application relates

7 Description of equipment applied for If possible this may be furnished in the form of an annexure indicating the items to be imported and their respective c i f value

8 (a) Details of import licences granted to the applicant during the last 12 months i e value of equipment source of financing whether imports effected etc

(b) Details of other applications separately made for import of Capital goods, which are still pending

9 Value of the present application.

10 Value of British Collaboration Technical or Financial In case of financial collaboration, percentage of British Capital participation may be given

11 (a) Value of British Machinery currently in use

(b) Value of indigenous machinery installed in the factory

(c) Value of total machinery installed in the factory

12 Whether applicant holds an Industries (D&R) Act Licence

(a) The items of manufacture for which the applicant holds Industrial Licences

(b) The licensed capacity and the installed capacity

(c) Actual production in 1970

(d) Likely increase in the capacity after the import of the equipment asked for.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1972

विषय यू० के० किं ग लोन 8 के लिए पूंजीगत माल (शेष उपस्कर) का आयात ।

संख्या 40 आई० टी० सी० (पी० एन०) / 72—मू० के० सरकार ने शेष उपस्कर के लिए अभिविन्यस्त व्यवसाय सघो की जरूरतो को पूरा करने के लिए भारत के आर्थिक विकास के लिए सहायता के रूप मे 10 लाख पौड (1.80 करोड रुपये) का ऋण उपलब्ध होगा ।

2. यह निश्चय किया गया है कि अनुसूची और गैर-अनुसूची वाले दोनो ही प्रकार के वास्तविक उपभोक्ताओ के लिए जिसमे ब्रिटिश मूल के उपस्कर के साथ लघु पैमाने उद्योग भी शामिल है पहले से ही उपयोग मे लगाए गए उपस्कर के उपयोग की उच्चतम सीमा को बढाने के लिए उनके द्वारा जरूरत समझे जाने पर छोटे शेष उपस्कर के आयात के लिए लाइसेस जा ी करने के लिए इन राशियो का उपयोग किया जा सकता है । चूंकि उद्यमकताओ की तरफ से माग अधिक है और धन-राशि इस कार्य के लिए कम इसलिए केवल उन्ही आवेदन पत्रो पर विचार करने का निश्चय किया गया है जो

(1) जिस उपस्कर का व्यवहार किया जाता है वह ब्रिटिश मल का है , और

(2) जिस उपस्कर का व्यवहार किया ज रहा है उसका मूल्य पहले से ही व्यवहार मे आने वाले उपस्कर से कम है और सी०आइ०एफ० मूल्य 25000 पौड से अधिक नही है ।

उपयुक्त आयतको द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट–1 मे दिए गए प्रपत्र के अनसार सूचना से समर्थित होने चाहिए । यदि आवेदन-पत्र परिशिष्ट द्वारा समर्थित नही है या अधूरा है परिशिष्ट मे गलत सूचना दी गई है तो ऐसी स्थिति मे आवेदन-पत्र को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा । इसे विशेष रूप से जान लेना चाहिए कि प्रत्येक उपयुक्त आयातक द्वारा केवल एक ही आवेदन-पत्र भेजा जाना चाहिए । आयातक द्वारा एक से अधिक जमा किए गए आवेदन-पत्रो पर विचार नही किया जाएगा ।

3 इस लाइसेस के साथ लागू होने वाली शर्तें जो इस ऋण के लिए जारी की जाने वाली है, वे सार्वजनिक सख्या सूचना 180–आई० टी० सी० (पी० एम)/72 दिनाक 22 दिसम्बर 1971 मे दी गई है ।

4. इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार छोटे शेष उपस्कर के आयात के लिए उपयुक्त वास्तविक उपभोक्ताओ द्वारा भेजे जाने वाले आवेदन-पत्र निर्धारित रूप मे और विधि के साथ (फार्म–ई) मुख्य नियत्रक आयात-निर्यात नई दिल्ली (विशेष सेल) को 29 अप्रैल 1972 तक भेजा जा सकता है ।

परिशिष्ट 1

1. आवेदक का नाम और पूरा पता :

(क) फैक्ट्री ।

(ख) पंजीगत कार्यालय

2. उद्योग किस प्रकार का है : स्वाम्य/भागीदारी/निजी परिसीमित/सार्वजनिक परिसीमित है ।

3. स्वामियों/भागीदारों/संचालकों का नाम ।

4. क्या डी० जी० टी० डी० डी०/डी० सी० (एस० एम० आई०)/लोहा और इस्पात नियंत्रक आदि की सूची में है :
(पंजीयन संख्या और तारीख दीजिए)

5. क्या आवेदक लघु पैमाने का है और यदि हां तो क्या प्रस्तावित आयात करने के बाद ऐसा ही उसे बनाए रखे :

(क) वर्तमान कुल परिसम्पत्ति ।

(ख) लागू होने वाले उपस्कर के आयात करने के बाद कुल परिसम्पत्ति ।

(ग) संयंत्र और मशीनों का वर्तमान मूल्य ।

(घ) मांग किए गए उपस्कर के आयात के बाद संयंत्र और मशीनरी का मूल्य ।

6. जिस उद्योग मे आवेदन-पत्र सम्बन्ध रखता है ।

7. जिस उपस्कर के लिए आवेदन किया गया है उसका विवरण यदि सम्भव हो तो आयात की जाने वाली मदों और तत्सम्बन्धी सी० आई० एफ० मूल्य को प्रदर्शित करने वाले अनुबन्ध के रूप में भेजा जाय

8. (क) गत 12 महीनों के दौरान आवेदक को प्रदान किए गए आयात लाइसेंसों का विवरण अर्थात् उपस्कर का मूल्य अर्थयुक्त बनाने के साधन जहां तक आयात को प्रभावित किया आदि ।

(ख) उन अन्य आवेदन-पत्रों का विवरण जो पूंजीगत माल के लिए अलग से दिए गये थ और जो भी अभी विचाराधीन है ।

9. वर्तमान आवेदन-पत्र का मल्य ।

10. तकनीकी या अर्थयुक्त वाले ब्रिटिश सहयोग का मूल्य आदि अर्थयुक्त प्रयोग वाला है तो ब्रिटिश पूंजी सहयोग का प्रतिशत दिया जाए ।

11. (क) वर्तमान प्रयोग में आने वाली ब्रिटिश मशीनों का मूल्य

(ख) फैक्ट्री में लगाई गई देशी मशीनों का मूल्य ।

(ग) फैक्ट्री में लगाई गई मशीनों का कुल मूल्य ।

12. क्या आवेदक के पास उद्योग (डी० एण्ड आर) अधिनियम लाइसेंस है ?

(क) आवेदक के पास जो औद्योगिक लाइसेंस है उसके लिए निर्माण की जाने वाली मदें

(ख) लाइसेंस द्वारा प्रदान की क्षमता और लगाई गई मशीन की क्षमता

(ग) 1970 का वास्तविक उत्पादन ।

(घ) मांग किए गए उपस्कर के आयात के बाद क्षमता में वृद्धि की सम्भावना ।

SUBJECT:—*Issue of import licences to Established Importers against the U.K. Kipping Loan VIII.*

No. 41-ITC(PN)/72. The U.K. Government have made available as part of the assistance for Indian economic development a loan of £ 1 million (Rs. 1.80 crores) to meet the requirements of U.K. oriented firms, for import of spare parts required for servicing U.K. equipment in the country.

2. It has been decided that this loan may be used for issuing licences for import of spares to the representatives of British manufacturers of machinery and equipment, who have been receiving import licences as established importers or under earlier Kipping Loans, to import spare parts needed for servicing and maintaining the equipment supplied by their principals. Licences will also be issued to Established Importers for import of spares for printing machinery and mining machinery manufactured in the U.K.

3. As the amount available for the purpose is relatively small, preference will be given to importers of spare parts who have commitments to service existing equipment of British origin. Applications from eligible importers should be supported by information as per proforma given in the Appendix I to this Public Notice. In case, the application is not supported by the Appendix or incomplete/faulty information is given in the Appendix, the application will be summarily rejected. It may be particularly noted that only one application should be submitted by each eligible importer. If more than one application is submitted by an importer only the first application will be considered.

4. The terms and conditions which will be applicable to the licences to be issued against this loan are given in the Public Notice No. 180-ITC(PN)/71 dated 22nd December, 1971.

5. Applications may be submitted in the prescribed form and manner to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi (Special Cell) by the 29th April, 1972.

APPENDIX

Proforma

1. Name of the firm.

2. Whether the importer has any British Collaboration—Technical or Financial.

3. (a) In case the importer has financial collaboration the percentage of British Capital participation may be given.

3. Details of quota certificates held by the importer may be given as follows:—

	Certificate No.	Date	Quota items	Value Rs. /lakhs
(*i*)				
(*ii*)				
(*iii*)				

(a) Total value (in Rs.) of all the quota certificates held by the importers.

4. Value of actual imports as established importer from the U.K. during 1968-69, 1969-70 and 1970-71 may be given as follows:—

Category of Imports	1968-69	1969-70	1970-71
	(Value in Indian Rupees)		
(*a*) Imports againt Quota licence . . .			
(*b*) Imports againt earlier Kipping Licences in the capacity of Established Importer			
(*c*) *Ad-hoc* licences issued to manufacturers for import of stock and sale spare parts .			
TOTAL .			

NOTE.—Separate figures must be given for each category of imports. The import figures should be certified by the Auditors.

5. Name of the British Manufactur(s) whom, where possible, the Indian Importer is representing and the approximate value of each equipment in use in India.

Signature:——————

for and on behalf of:——————

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय : यू० के० किप्पिंग लोन 8 के लिए संस्थापित आयातकों को आयात लाइसेंस जारी किया जाना ।

संख्या 41—आई० टी० सी० (पी० एन०) / 71.—यू० के० सरकार ने हमारे देश में यू० के० उपस्कर को काम में लाने के लिए अपेक्षित फालतू पुर्जों के आयात के लिए अभिविन्यस्त व्यवसाय संघो की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के आर्थिक विकास के लिए सहायता के रूप में 10 लाख पौंड (1.80 करोड़ रुपये) का ऋण उपलब्ध कराया है ।

2. यह निश्चय किया गया है कि इस ऋण का उपयोग मशीन तथा उपस्कर के ब्रिटिश निर्माण कर्ता के उन प्रतिनिधियों के लिए किया जाएगा जो संस्थापित आयतकों के रूप में या पूर्व किप्पिंग लोन के अन्तर्गत उनकी पूंजी द्वारा दिए गए उपस्कर को काम में लाने और उन्हें चालू रखने के लिए आवश्यकता होने पर फालतू पुर्जों के आयात के लिए लाइसेंस प्राप्त करते आ रहे है । मुद्रण मशीनें तथा खनन मशीनें, जो यू० के० में बनाई गई है, उनके लिए काम आने वाले फालतू पुर्जों के आयात लाइसेंस भी संस्थापित आयतकों को दिए जाएंगे ।

3. चूंकि इस कार्य के लिए उपलब्ध धन राशि अपेक्षाकृत कम है, इसलिए उन आयातकों को वरीयता दी जाएगी जो ब्रिटिश मूल के वर्तमान उपस्कर को सुचारू रूप में चलाने के फालतू पुर्जों के आयात के लिए वचनबद्ध हो चुके हैं । उपयुक्त आयातकों द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट–1 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सूचना से समर्थित होने चाहिए । यदि आवेदन-पत्र परिशिष्ट द्वारा समर्थित नहीं हैं या अधूरा हैं / परिशिष्ट में गलत सूचना दी गई है, तो ऐसी स्थिति में आवेदन-पत्र को सरकारी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा । इसे विशेष रूप से जान लेना चाहिए कि प्रत्येक उपयुक्त आयातक द्वारा केवल एक आवेदन पत्र भेजा जाना चाहिए । आयातक द्वारा एक से अधिक भेजे गये आवेदन पत्रों की स्थिति में केवल पहले पर ही विचार किया जाएगा ।

4. इस ऋण के विपरीत लाइसेंसों के लिए जो लागू नियम तथा शर्तें जारी की जाएंगी वे सार्वजनिक सूचना सं० 180 आई टी० सी० (पी एन०) 71, दिनांक 22-12-1971 में दी गई है ।

5. निर्धारित रूप में और विधि के साथ आवेदन-पत्र, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात नई दिल्ली (विशेष सेल) को 29 अप्रैल, 1972 तक दिये जा सकते हैं ।

परिशिष्ट 1

प्रपत्र

1. उद्योग संघ का नाम ।

2. क्या आयातक के पास कोई ब्रिटिश सहयोग तकनीकी या अर्थयुक्त वाला है ?

3. (क) यदि आयातक अर्थयुक्त सहयोग वाला है, तो ब्रिटिश पूंजी सहयोग का प्रतिशत दिया जाय

3. आयातक द्वारा रद्द किए गए कोटा प्रमाण-पत्रों के विवरण निम्नलिखित के रूप में दिए जा सकते हैं :—

प्रमाण-पत्र की संख्या	दिनांक	कोटा की मदें	मूल्य लाख रुपयों में
(1)			
(2)			
(3)			

(क) आयातकों द्वारा रद्द किए गए सभी कोटा प्रमाण-पत्रों का कुल मूल्य (रुपये में)

4. 1968-69, 1969-70 और 1970-71 के दौरान यू० के० से आयात करने वाले के रूप में संस्थापित वास्तविक आयातों का मूल्य निम्नलिखित के अनुसार दिया जा सकता है :—

आयातों की श्रेणी	1968-69	1969-70	1970-71
	(भारतीय रुपये में मूल्य)		
(1) कोटा लाइसेंस के विपरीत आयात ।			
(2) संस्थापित आयातकों के रूप में पूर्व क्लिंग लाइसेंसों के विपरीत आयात ।			

(3) संचयन और बिक्री फालतू पुर्जों के आयात के लिए निर्माण-कर्ताओं को जारी किए गए तदर्थ लाइसेंस			
कुल			

टिप्पणी.—आयातकों की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अलग आंकड़े अवश्य दिए जाने चाहिए। आयात आंकड़े लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित होने चाहिए।

5. जहां सम्भव हो, उन ब्रिटिश निर्माण-कर्ता का नाम दें, जिसका भारतीय आयातक प्रतिनिधित्व कर रहा है और भारत में प्रयोग कि जाने वाले प्रत्येक उपस्कर का अनुमानित मूल्य दें।

हस्ताक्षर.....

वास्ते और के बदल.....

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972